मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर, 2001 (भाद्र 14, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हुकुम सिंह कराड़ा, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, ग्वालियर जिले के भितरवार में गोलीचालन के दोषियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामप्रताप सिंह, केदारनाथ शुक्ल, प्रभाकर सिंह, सदस्य, नवगठित राज्य हेतु कर्मचारियों को उनके हितों की उपेक्षा कर भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री प्रेमनारायण ठाकुर, मुंशीलाल, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले में प्रदूषित पेयजल एवं संक्रामक बीमारियों से अनेक लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, ग्वालियर शहर के इन्द्रगंज थाने में एक पुलिस अधिकारी द्वारा विधायकों पर बंदूक तान देने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है."

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के -
(क) ग्राम डिडोखर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने; तथा
(ख) ग्राम जिन्दपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय को शासनाधीन किये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वक्तव्य

(1) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 29 नवम्बर, 2000 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्रमांक-3468) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन, दिनांक 23 मार्च, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक-5817) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय 1 घन्टा 30 मि.

मध्यप्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरेन्द्र बिरथरे, सुनील नायक, भूपेन्द्र सिंह, अनूप मिश्रा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रसाल सिंह, कुंवर विजय शाह, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, श्री रणवीर सिंह एवं श्री लालसिंह, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 4 सितम्बर, 2001

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.